फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

नारायणराम बनाम आबिद हुसैन

किस्म मुकदमा 225 आरटीए नम्बर 53/2022
जीसीएमएस संख्या.....2022/238

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13–07–22	अभिभाषक अपीलांट श्री सत्यनारायण तिवाड़ी उपस्थित। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् को अपील पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर के ग्राम चकगर्बी के खेत खसरा नम्बर 1288/159 जिसके उपनिवेशन खसरा नम्बर 556 तादादी 40 बीघा भूमि अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 की खरीदशुदा संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिस पर अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 8 संलग्न नजरी नक्शें के अनुसार अपने–अपने हक व हिस्से पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि में से अपीलांट्स के हक व हिस्से की भूमि सड़क के नजदीक होने के कारण रेस्पोडेन्ट्स की नियत में खोट आ जाने से उनके द्वारा अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने की स्थिति में अपीलांट्स द्वारा अपने अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मात्र यह अंकित करते हुए कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण पक्ष में नहीं है अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन अस्वीकार किया जाता है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना किसी प्रकार का कोई विवेचन अंकित किये बिना अपीलांट्स/प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा के निवेदन को अस्वीकार करने में कानूनी त्रृटि कारित की गई है।

उन्होनें आगे कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जब यह तय किया जा चुका था कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अपना विवेचन अंकित करते हुए उसे खारिज किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलांट्स के अस्थाई निषेधाज्ञा पर किसी प्रकार का विवेचन अंकित किये बिना मात्र निवेदन को अस्वीकार करने का कथन किया जाना अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र अर्थात धारा 212 आरटीए की मंशा के विपरीत की गई कार्यवाही है। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति की मांग अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के माध्यम से की गई थी, जिसे अस्वीकार किया गया है। दौराने अपील यदि रेस्पोडेन्ट्स अपीलांट्स को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने में कामयाब हो गये तो अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियॉ उत्पन्न होंगी। अतः अपीलांट्स का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर के ग्राम चकगर्बी के खेत खसरा नम्बर 1288/159 जिसके उपनिवेशन खसरा नम्बर 556 तादादी 40 बीघा भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर के ग्राम चकगर्बी के खेत खसरा नम्बर 1288/159 जिसके उपनिवेशन खसरा नम्बर 556 तादादी 40 बीघा भूमि जोकि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की खरीदशुदा भूमि है व जिस पर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स अपने – अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने कब्जे काश्त की सुरक्षा हेतु अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट्स का प्रथम दृष्टया मामला नहीं मानते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के निवेदन को अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं मानते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के निवेदन को अस्वीकार करते हुए अभिलिखित किया गया है कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय किया जाना उचित है तथा पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 12–08–2022 नियत की गई है। प्रकरण में चूंकि अदालत मातहत के समक्ष दोनों पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में दिनांक 12–08–2022 तक वादग्रस्त भूमि की सुरक्षा व सरंक्षणा व मौके पर किसी प्रकार की पेचिदगियॉ उत्पन्न नहीं होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आराजी जैर तहसील बीकानेर के ग्राम चकगर्बी के खेत खसरा नम्बर 1288/159 जिसके उपनिवेशन खसरा नम्बर 556 तादादी 40 बीघा भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष जैरकार प्रकरण का निस्तारण आगामी पेशी पर दोनों पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए करें। दिनांक 12–08–2022 के पश्चात् उक्त आदेश को स्वतः निष्प्रभावी समझा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।